न्यायालय मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर नागौर
पीठासीन अधिकारी–दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस.

भूमि अवाप्ति मध्यस्थता प्रार्थना संख्या–36/2018

प्रार्थीगण

1. श्रीमति भगवान कंवर पत्नि स्व. बनाम पृथ्वीसिंह
2. भोमसिंह पुत्र स्व. पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम भाकरोद राजपूतों का मोहल्ला तहसील नागौर हाल निवासीगण डीडवाना रोड चेनार तहसील नागौर राज.
3. भैरूसिंह पुत्र स्व. गोरधनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भाकरोद राजपूतों का मोहल्ला नागौर तहसील व जिला नागौर राज.

अप्रार्थीगण

1. भारत संघ जरिये सचिव सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. उप सचिव (राष्ट्रीय राजमार्ग) सार्वजनिक निर्माण विभाग राज. जयपुर।
3. प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त कलक्टर, नागौर
4. परियोजना निदेशक एवं अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय उच्च मार्ग खण्ड जोधपुर राज.
5. परियोजना निदेशक एंव अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय उच्च मार्ग खण्ड नागौर
6. श्रवणसिंह पुत्र स्व. गोरधनसिंह
7. भवानीसिंह पुत्र स्व. गोरधनसिंह
8. श्रीमति हरकंवर पत्नि स्व गोरधनसिंह जाति सभी राजपूत निवासीगण ग्राम भाकरोद राजपूतों का मोहल्ला तहसील व जिला नागौर राजस्थान

उपस्थित :–

1. प्रार्थी गण की ओर से वकील श्री राजेश रावल।
2. अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

आदेश दिनांकः 14-03-2019

1–प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–65 के 166/260 कि.मी. से 226/400 कि.मी. तक के भूखण्ड (नागौर–जोधपुर सेक्शन) का निर्माण (चौड़ा करने/ दो लेन/चार लेन बनाने आदि) के लिए भूमि की अवाप्ति हेतु पारित अवार्ड दिनांक 24.08.2016 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3छः(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 एवं संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम 1997 सपठित धारा 21 माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 के अन्तर्गत दिनांक 20.02.2018 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का मध्यस्थता प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 6,7 व 8 ने प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

2–उभय पक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थी के वकील ने अपनी बहस में स्वंय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में दिये गये तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि–

2(1)– नागौर जिले के कार्य क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65–0/0 कि.मी. से 121/0 कि.मी. (फतेहपुर नागौर सैक्सन) एवं 174/0 कि.मी. से 307/0 किमी तक के भूखण्ड (नागौर जोधपुर सेक्सन) का निर्माण चौडा करने/दो लेन/ चार लेन बनाने के लिये भूमि अधिग्रहण कार्य हेतु

कलक्टर, नागौर

नागौर (राजस्थान)



Scanned by CamScanner

उल्लेख ही है और न ही विवादित भूमि के खातेदारों के नाम ही दर्ज है। इससे यह स्पष्ट है कि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उक्त विवादित भूमि की गलत रूप से अवाप्ति की है तथा बिना किसी अधिकारी के विवादित भूमि का अवाप्ति म्यूटेशन भरा गया है जो पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध होने से उक्त भूमि की अवाप्ति को निरस्त किया जाना उचित व न्याय संगत है।

2(6)– प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 6 से 8 को विवादित भूमि में निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व डिमार्केशन करने पर तथा विवादित भूमि के खाते की नकल प्राप्त करने पर प्रथम बार विवादित भूमि के अवाप्त किये जाने की जानकारी हुई। तब प्रार्थी संख्या 2 द्वारा अवाप्ति अधिकारी के समक्ष दिनांक 30.12.2016 को एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशित अधिसूचना में कोई विवरण नहीं था किन्तु विवादित भूमि पर भी निर्माण कार्य किया जा रहा है किन्तु विवादित भूमि के संबंध में खातेदारों को न तो नोटिस जारी किया गया और न ही सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया और न ही किसी प्रकार की मुआवजा राशि ही दी गई इसलिए विवादित भूमि के संबंध में जो कार्यवाही अप्रार्थीगण द्वारा की गई है उस से प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 6 से 8 के विधिक अधिकार प्रभावित हो रहे है साथ ही यह भी निवेदन किया गया कि उक्त अवाप्ति के संबंध में प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान कर उचित कार्यवाही अमल में लाई जावे तब तक विवादित भूमि में होने वाले निर्माण कार्य को तुरन्त प्रभाव से रोकने का निवेदन किया किन्तु अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की गई तब पुनः दिनांक 30.12.2016 को प्रस्तुत आवेदन पत्र पर कार्यवाही करने हेतु एक आवेदन पत्र 12.07.2017 को पेश किया गया। जिस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई तब प्रार्थी संख्या 2 द्वारा पुनः एक आवेदन पत्र दिनांक 13.02.2018 को अवाप्ति अधिकारी के समक्ष पेश किया गया किन्तु अवाप्ति अधिकारी द्वारा विवादित भूमि के संबंध में आज दिन तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई तथा न प्रार्थीगण को इस संबंध में किसी प्रकार का सन्तोष जनक उत्तर ही दिया गया। बार–बार आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी अवाप्ति अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही न किये जाने से विवादित भूमि के संबंध में जो अवाप्ति कार्यवाही की गई है वह पूर्णतः गलत है तथा विवादित भूमि में करवाया जाने वाला निर्माण कार्य भी विधि विरूद्ध है क्योंकि उक्त विवादित भूमि की अवाप्त के संबंध में किसी प्रकार का प्रकाशन नहीं किया गया और न ही किसी मुआवजा की राशि निर्धारित की जा कर उस का प्रकाशन ही करवाया गया इसलिये विवादित भूमि के संबंध में की गई सम्पूर्ण कार्यवाही ही विधि विरूद्ध एंव प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2(7)– विवादित भूमि के संबंध में अवाप्ति से पूर्व खातेदारों को नोटिस दिया जाना आवश्यक था जो नहीं दिया गया। प्रथम तो विवादित भूमि के संबंध में जो अवाप्ति की कार्यवाही की गई है वह सम्पूर्ण कार्यवाही ही विधि द्वारा निर्धारित प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है। विकल्प में यदि विवादित भूमि की अवाप्ति को सडक निमार्ण हेतु आवश्यक माना जाता है तो विवादित भूमि के संबंध में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 6 से 8 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा कर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग से जुडी होने के आधार पर व्यावसायिक मान कर व्यवसायिक दर के आधार पर विक्रय के समय पंजीयन के दौरान काम में लिये जाने वाले मापदण्डों को उपयोग में लेते हुए उचित मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाना उचित व न्याय संगत है।

2(8)– भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा विवादित भूमि के संबंध में की गई अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध होने से प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 6 से 8 बाहर होने से उनको आवेदन में परफोंगा पक्षकार अप्रार्थी बनाया गया है। जिन का हित प्रार्थीगण के हित के विपरीत नहीं है।

2(9)– विवादित भूमि की अवाप्ति के संबंध में पूर्ण अवसर प्रदान किया जावें। विवादित भूमि के संबंध में नियमानुसार उचित मुआवजा की राशि तय कर उक्त राशि की अधिसूचना की तिथी से

कलक्टर, नागौर



Scanned by CamScanner

अथवा भूमि अवाप्ति की तिथी से मुआवजा राशि के भुगतान की तिथी तक 18 प्रतिशत की दर से ब्याज प्रदान करवाया जावें। अन्य अनुतोष जो भी न्यायालय प्रार्थीगण को प्रदान किये जाने का कथन करते हुए वकील प्रार्थी ने प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर राष्ट्रीय राज मार्ग अधिनियम 1956 में निर्धारित भूमि अवाप्ति व उसका मुआवजा तय किये जाने वाले समस्त प्रावधानों की पालना की जा कर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 6 से 8 के हक में विवादित अवाप्ति भूमि के संबंध में अवार्ड पारित करने का निवेदन किया है।

3– राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 की ओर से बहस में कथन किया की प्रार्थीनी की खसरा संख्या 1745/422 की कुल 12 बीघा भूमि में से 17 बिस्वा भूमि राजमार्ग के विकास हेतु अधिग्रहित की गई थी। परन्तु इसकी अधिसूचना 3(डी) किसी कारण से अधिसूचित नहीं हो सकी थी। परन्तु मौके पर स्थित भूमि सड़क विकास कार्य हेतु काम मे ले ली गई थी। जिसका मुआवजा सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सका। अप्रार्थी संख्या 6 से 8 एवं प्रार्थीनी के खातेदारी हक की जो भूमि सड़क विकास कार्य में काम ली गई है। उसका माप–जोख सक्षम राजस्व अधिकारियों से करवाकर तथा भूमि का एवं भू–स्वामी खातेदारों की विधिक स्थिति का सत्यापन करवाकर नियमानुसार उचित/पर्याप्त मुआवजा निर्धारित करके भुगतान करने के लिए विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

**3(1)**– प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 6 से 8 के खातेदारी की अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा नियमानुसार निर्धारित करके भुगतान कर दिया जायेगा।

**3(2)**– विभाग द्वारा जारी 3(डी) अधिसूचना में इस खसरे को सम्मिलित किया जाना अधिसूचित नहीं हो सका था। इस कारण प्रार्थीनी को ज्ञात नहीं हो सका। परन्तु अब प्रार्थीनी ने मुआवजा का दावा अपील में किया है। विभाग को अवाप्त की गई भूमि के लिए मुआवजा निर्धारण में कोई आपत्ति नहीं है। शीघ्र ही सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी को आदेशित मुआवजा का भुगतान कर दिया जायेगा।

**3(3)**– भूमि सड़क विकास के लिए आवश्यक होने के कारण ही अवाप्त की गई है। प्रार्थीनी को उचित अवसर देकर प्रार्थीनी की अवाप्त भूमि की किस्म के आधार पर भूमि का मुआवजा तत्समय प्रवृत नियमों के अनुसार तथा नियमानुसार देय समस्त लाभों को सम्मिलित करते हुए निर्धारित किया जायेगा, का कथन करते हुऐ अपील का निस्तारण तदनुसार करने का निवेदन किया है।

**4**–वकुंलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया प्रार्थीगण के कथनानुसार प्रार्थीगण को खेत खसरा नम्बर 1745 रकबा 12 बीगा में से 17 बिस्वा भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अवाप्ति की जाने व 17 बिस्वा भूमि का म्यूटेशन दिनांक 28.06.2017 को राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार (गै.मु. सड़क) दर्ज किये गये, परन्तु हस्तगत अवाप्ति की कार्यवाही में अप्रार्थी संख्या 6 से 8 की खातेदारी भूमि का उल्लेख नहीं होने तथा न मुआवजा हेतु पारित अवार्ड में नाम होने से प्रार्थीगण ने अपने व अप्रार्थी संख्या 6 से 8 के हक व अधिकारों को मध्यस्थ द्वारा अवधारित करने हेतु यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 में निर्धारित भूमि अवाप्ति व उस का मुआवजा तय किये जाने वाले समस्त प्रावधानों की पालना की जाकर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 6 से 8 के हक में विवादित अवाप्ति भूमि के संबंध में अवार्ड पारित करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण के उक्त कथनों से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 6 से 8 की उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में ली गई है, परन्तु सक्षम प्राधिकृत भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उक्त भूमि का नियमानुसार मुआवजा निर्धारण नहीं किया गया है। राजपैरोकार द्वारा भी बहस में कथन किया गया है कि प्रार्थीनी की खसरा संख्या 1745/422 की कुल 12 बीधा भूमि में से 17 बिस्वा भूमि राजमार्ग के विकास हेतु अधिग्रहित की गई थी। परन्तु

कलक्टर, नागौर



Scanned by CamScanner

इसकी अधिसूचना 3(डी) किसी कारण से अधिसूचित नहीं हो सकी थी। परन्तु मौके पर स्थित भूमि राड़क विकास कार्य हेतु काम मे ले ली गई थी। जिसका मुआवजा सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सका। अप्रार्थी संख्या 6 से 8 एवं प्रार्थीनी के खातेदारी हक की जो भूमि सड़क विकास कार्य में काम ली गई है। उसका माप–जोख सक्षम राजस्व अधिकारियों से करवाकर तथा भूमि का एवं भू–स्वामी खातेदारों की विधिक स्थिति का सत्यापन करवाकर नियमानुसार उचित/पर्याप्त मुआवजा निर्धारित करके भुगतान करने के लिए विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण एवं राजपैरोकार के कथनानुसार हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा मुआवजा निर्धारण के संबंध में कोई अवार्ड पारित नहीं किया गया है।

4(अ)–भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम 1997 के अनुसार उक्त अधिनियम 1997 की धारा 3छ(1)(2) के अन्तर्गत मुआवजा निर्धारण किये जाने तथा उक्त अधिनियम 1997 की धारा 3छ(5) के तहत सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा धारा 3छ(1)(2) के अधीन अवधारित रकम किसी पक्षकार को स्वीकार्य नहीं होने पर, रकम किसी पक्षकार के आवेदन पर मध्यस्थ द्वारा अवधारित की जाने का प्रावधान है।

4(ब)–चूँकि हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा मुआवजा निर्धारण के संबंध में कोई अवार्ड ही पारित नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी के कथनानुसार यदि वादग्रस्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में उपयोग में ली जा चुकी है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण के समक्ष विधि सम्मत कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र है।

5–उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र विधि अनुसार पोषणीय नहीं होने के आधार पर खारिज किया जाता है।

6–आदेश सुनाया।

(दिनेश कुमार यादव)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
नागौर



Scanned by CamScanner